# अध्याय-1
# विहंगावलोकन

# अध्याय-1

# विहंगावलोकन

## 1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली में एक ऐसी प्रशासनिक संरचना है जिसमें दोहरा अधिकार क्षेत्र है, अर्थात् केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दिल्ली में 11 जिले और 33 उप-मंडल हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी और 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या अनुमान के अनुसार, 2023-24 के दौरान राज्य की जनसंख्या 2.18 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 1.56 *प्रतिशत* है और जनसंख्या के मामले में राज्यों में 19वें स्थान पर है। रा.रा.क्षे.दि. का जनसंख्या घनत्व राज्यों में सबसे अधिक था जो 14,667.57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि. का घनत्व 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. के राष्ट्रीय औसत से 34 गुना अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 86.21 *प्रतिशत* है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98 *प्रतिशत* से अधिक है। दिल्ली में पुरुष साक्षरता दर 90.94 *प्रतिशत* और महिला साक्षरता दर 80.76 *प्रतिशत* है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1** में दी गई है।

### 1.1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) किसी निश्चित अवधि में राज्य के सीमाक्षेत्र के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह एक समयावधि के अंदर राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र क्रमश: कृषि और उद्योग क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ.[1] की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है; 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. बनाम जीएसवीए की वृद्धि दर और स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि क्रमशः **चार्ट 1.1** और **चार्ट 1.2** में दी गई है।

**तालिका 1.1: स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां**

**(₹ लाख करोड़ में)**

| **वर्ष**[2] | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** |
|---|---|---|---|---|---|
| **भारत** | | | | | |
| वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.)[3] (2011-12 श्रृंखला) | 201.04 | 198.54 | 235.97 | 269.50 | 295.36 |
| सकल मूल्य वर्धित[4](जीवीए) | 183.81 | 182.11 | 216.36 | 246.59 | 267.62 |
| पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में) | 6.37 | (-)1.24 | 18.85 | 14.21 | 9.60 |
| पिछले वर्ष की तुलना में जीवीए की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में) | 7.02 | (-)0.93 | 18.81 | 13.97 | 8.53 |
| प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (₹ में) | 1,49,915 | 1,46,480 | 1,72,422 | 1,94,879 | 2,11,725 |
| **राज्य/संघ शासित प्रदेश** | | | | | |
| वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला) | 7.93 | 7.44 | 8.81 | 10.15 | 11.08 |
| सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) | 7.04 | 6.67 | 7.78 | 8.90 | 9.74 |
| पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में) | 7.38 | (-)6.13 | 18.42 | 15.13 | 9.17 |

[1] वर्तमान मूल्यों पर

[2] **स.रा.घ.उ.:** 2021-22 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), 2022-23 के लिए धूत अनुमान (क्यूई) और 2023-24 के लिए अग्रिम अनुमान (एई)। **स.घ.उ.**: 2022-23 के लिए प्रथम संशोधित अनुमान (एफआरई) और 2023-24 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई)।

[3] स.घ.उ. किसी देश की आर्थिक गतिविधि का एक माप है जिसकी गणना किसी देश में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर की जाती है। जब इन अभिधानों का उपयोग किसी राज्य के संबंध में किया जाता है, तो इसे स.रा.घ.उ. या सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। स.घ.उ. या स.रा.घ.उ. में सभी कर शामिल होते हैं।

[4] जीवीए किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं या सेवाओं में जोड़े गए मूल्य को मापता है। जब इन अभिधानों का उपयोग किसी राज्य के संबंध में किया जाता है, तो इसे जीएसवीए या सकल राज्य मूल्य वर्धित कहा जाता है। जीवीए या जीएसवीए में कर शामिल नहीं होते हैं।

**(₹ लाख करोड़ में)**

| वर्ष[2] | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| पिछले वर्ष की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में) | 8.73 | (-)5.32 | 16.71 | 14.38 | 9.45 |
| प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (₹ में) | 3,95,763 | 3,64,592 | 4,23,699 | 4,78,739 | 5,13,131 |

स्रोत: एनएसओ (एमओएसपीआई) एवं दिल्ली का राज्य घरेलु उत्पाद अनुमान 2023-24, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.।

2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 11.08 लाख करोड़ था और 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. ₹ 295.36 लाख करोड़ था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ₹ 5,13,131 था जो राष्ट्रीय औसत से 142.36 *प्रतिशत* अधिक था जबकि देश के संदर्भ में वह ₹ 2,11,725 था। तथापि, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (29.66 *प्रतिशत*) में वृद्धि उसी अवधि के दौरान देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (41.23 *प्रतिशत*) में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख सकी।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जीवीए को स.घ.उ. की तुलना में आर्थिक वृद्धि का बेहतर सूचक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को अवगणित करता है। स.घ.उ. की गणना अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के कुल योग के रूप में की जाती है जिसमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण या निवेश व्यय शामिल है जो अर्थव्यवस्था में मांग की स्थितियों को दर्शाते हैं। दोनों आकलनों में शुद्ध करों के प्रतिपादन में अंतर हैं, स.घ.उ. की गणना करों सहित की जाती है जबकि जीवीए में उनका समावेश नहीं है। अंतः एक नीति-निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और बेहतर नीति निर्माण/निर्णय के लिए जीवीए और जीएसवीए (सकल राज्य मूल्य वर्धित) आंकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए स.रा.घ.उ. और जीएसवीए की प्रवृत्तियां नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई हैं:

**चार्ट 1.1: 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. बनाम जीएसवीए की वृद्धि दर**

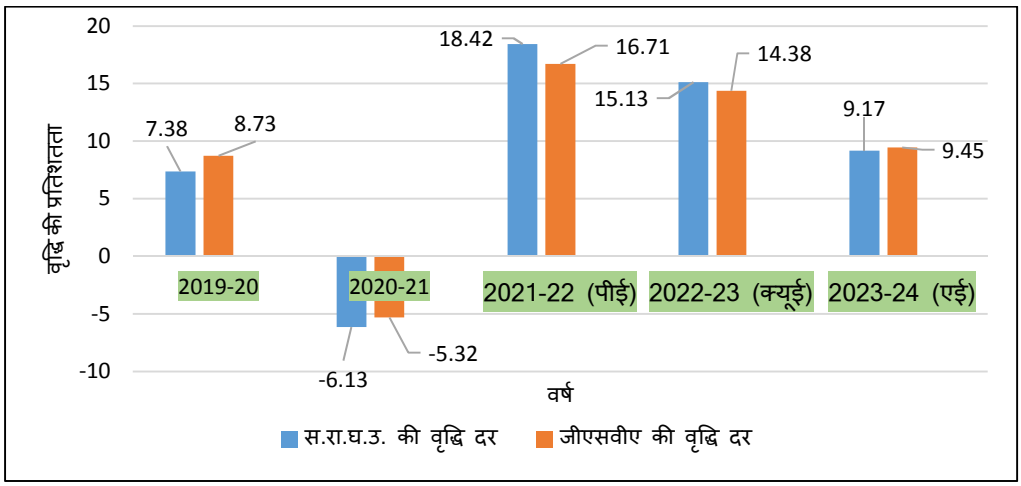


स्रोत: दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 2023-24, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। स.रा.घ.उ. में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का क्षेत्रीय योगदान **चार्ट 1.2** में दिया गया है।

**चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि**

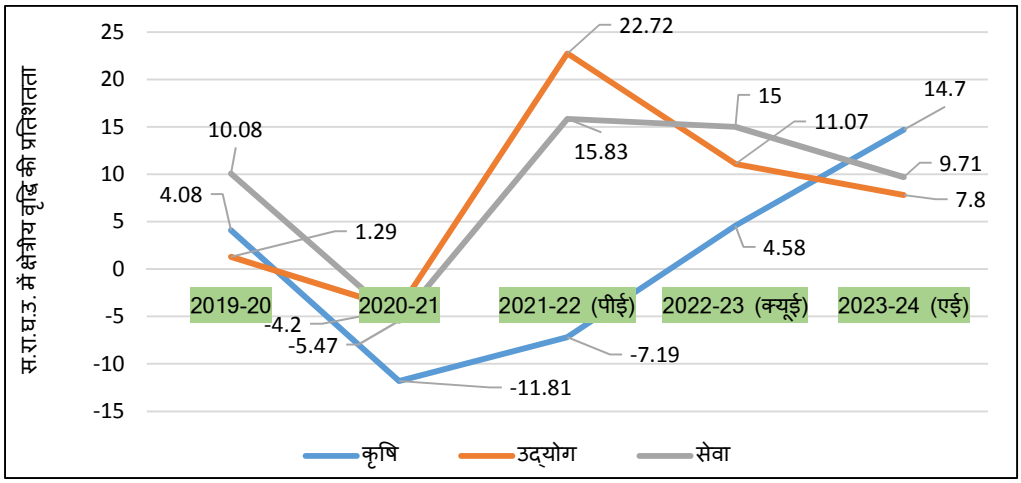


स्रोत: दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 2023-24, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

**चार्ट 1.2** से स्पष्ट है कि यद्यपि 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हुई, परंतु उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कमी हुई। रा.रा.क्षे.दि. सरकार का राजस्व अधिशेष 2022-23 के ₹ 14,457 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 6,462 करोड़ हो गया, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 55.30 *प्रतिशत* की कमी, जैसा कि इस प्रतिवेदन के **पैराग्राफ 1.4** और **अध्याय 2** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

## 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे से इस प्रतिवेदन के मुख्य आंकडे तैयार होते हैं। लेखा नियंत्रक रा.रा.क्षे.दि.स. प्रतिवर्ष राज्य के वित्त और विनियोग लेखे तैयार करता है। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और आबंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संगत नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए।
- स.रा.घ.उ. और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.
- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम।
- भारत के नि.म.ले.प. के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का भीं विश्लेषण/टिप्पणी के लिए उपयुक्तता के अनुरूप उपयोग किया गया है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा जनवरी 2025 में टिप्पणियों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को भेजा गया। प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे.दि.स. से निकास सम्मेलन आयोजित करने के लिए सुविधाजनक तिथि बताने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

## 1.3 सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखाओं को दो भागों में रखा जाता है:

1. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 46)**

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त ऋण, प्राप्त सभी अनुदान और ऋणों के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। विधि द्वारा और अधिनियम में दिए गए उद्देश्यों के लिए और तरीके के अतिरिक्त इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

## 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की आकस्मिकता निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 47)

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित किया जाता है तथा यह उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है जो उन अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए जो किसी ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा उस व्यय को अधिकृत किया जाना लंबित हो, को पूरा करने के लिए सक्षम बनाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। चूंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए अलग से कोई लोक लेखा नहीं है, इसलिए लोक लेखा (जमा, अग्रिम, आरक्षित निधि, प्रेषण और उचंत) से संबंधित लेन-देन को केंद्र सरकार के लोक लेखा में विलय कर दिया जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम शेष केंद्र सरकार के सामान्य नकद शेष के साथ विलय कर दिया जाता है और उसका हिस्सा बन जाता है और इसे केंद्र सरकार के पास जमा के रूप में माना जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय देयताओं में बड़े पैमाने पर लघु बचत संग्रह का हिस्सा शामिल है।

दिल्ली, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है तथा उसे केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के बदले में सहायता अनुदान प्राप्त होते हैं।

**बजट दस्तावेज़**

**राजस्व प्राप्तियों** में रा.रा.क्षे.दि.स. के कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।

**राजस्व व्यय** में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनसे भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थाओं को दिए गए सहायता अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हों) के लिए किए गए व्यय से संबंधित है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की **पूंजीगत प्राप्तियों** में ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियां और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। सभी आवश्यक ऋण भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं।

**पूंजीगत व्यय** को मोटे तौर पर भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस संपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, स.क्षे.उ. में निवेश पर व्यय शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार के पास एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

| | लेन-देन की विशिष्टता | वर्गीकरण |
|---|---|---|
| म.ले.नि. द्वारा मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत | कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/विभाग | मुख्य शीर्ष (4-अंकीय) |
| | उप-कार्य | उप-मुख्य शीर्ष (2-अंकीय) |
| | कार्यक्रम | लघु शीर्ष (3-अंकीय) |
| राज्यों के लिए छूट छोड़ दी गई है | योजना | उप-शीर्ष(2-अंकीय) |
| | उप-योजना | विस्तृत-शीर्ष(2-अंकीय) |
| | आर्थिक प्रकृति/गतिविधि | वस्तु-शीर्ष-वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (2-अंकीय) |

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य का पता चलता है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में निहित संख्यांकन तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए हैं, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए हैं। आर्थिक वर्गीकरण कुछ वस्तु शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, आम

तौर पर "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूंजीगत व्यय है। बजट दस्तावेज़ों में वस्तु शीर्ष विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

**चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखाओं की संरचना**

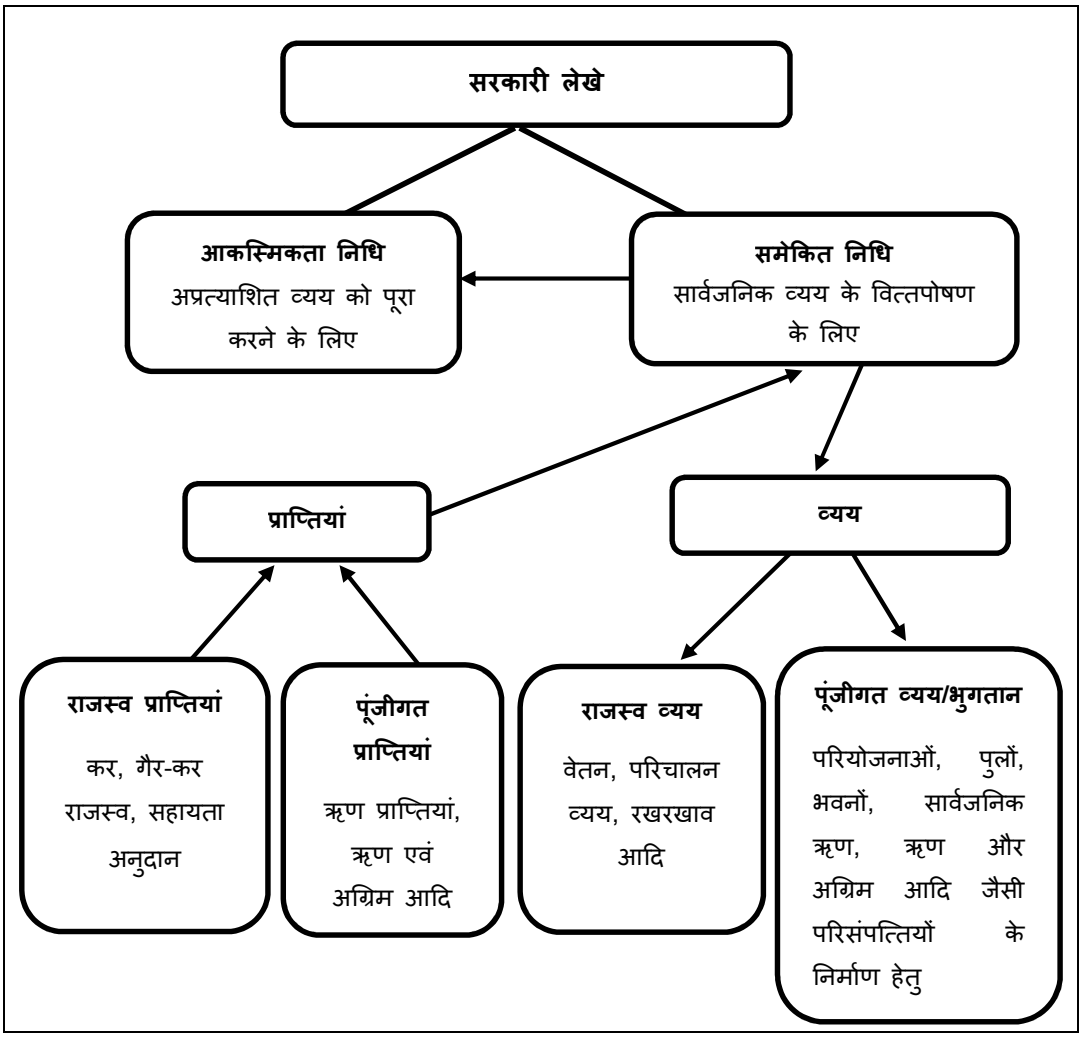


स्रोत: वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

## बजटीय प्रक्रियाएं

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि. के उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में, विधान सभा के समक्ष उस वर्ष के लिए राजधानी की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कराएगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, यह विवरण अनुदानों/विनियोगों की मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत समेकित निधि में से

अपेक्षित धनराशि के विनियोग हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट और अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में दिए गए हैं।

### 1.3.1 वित्त का आशुचित्र

**तालिका 1.2** वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों और वास्तविक तथा 2022-23 के वास्तविक की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

**तालिका 1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम**

***(₹ करोड़ में)***

| क्रम सं. | संघटक | 2022-23 वास्तविक | 2023-24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बजट अनुमान | वास्तविक | ब.अ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता | स.रा.घ.उ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता |
| 1. | कर राजस्व | 47,363 | 53,565 | 53,681 | 100.22 | 4.85 |
| 2. | गैर-कर राजस्व | 581 | 1,050 | 1,024 | 97.52 | 0.09 |
| 3. | सहायता अनुदान और अंशदान | 14,759 | 8,137 | 2,093 | 25.72 | 0.19 |
| 4. | **राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)** | **62,703** | **62,752** | **56,798** | 90.51 | 5.13 |
| 5. | ऋण एवं अग्रिमों की वसूली | 1,258 | 621 | 98 | 15.78 | 0.01 |
| 6. | उधार एवं अन्य देयताएं | (-)4,566 | 10,001 | 3,934 | 39.34 | 0.36 |
| 7. | **पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)** | **(-)3,308** | **10,622** | **4,032** | 37.96 | 0.36 |
| 8. | **कुल प्राप्तियां (4+7)** | **59,395** | **73,374** | **60,830** | 82.90 | 5.49 |
| 9. | **राजस्व व्यय, *जिसमें से*** | **48,246** | **56,983** | **50,336** | 88.34 | 4.54 |
| 10. | ब्याज भुगतान | 3,266 | 3,094 | 3,094 | 100.00 | 0.28 |
| 11. | **पूंजीगत व्यय** | **8,065** | **11,190** | **6,855** | 61.26 | 0.62 |
| 12. | **ऋण एवं अग्रिम** | **3,084** | **5,587** | **3,639** | 65.13 | 0.33 |
| 13. | **कुल व्यय (9+11+12)** | **59,395** | **73,760** | **60,830** | 82.46 | 5.49 |
| 14. | **राजस्व अधिशेष/ (4-9)** | **14,457** | **5,769** | **6,462** | 112.01 | 0.58 |
| 15. | **राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष(+) {(4+5)-13}** | **4,566** | **(-)10,387** | **(-) 3,934** | 37.89 | **(-)** 0.36 |
| 16. | **प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (15+10)** | **7,832** | **(-)7,293** | **(-) 840** | 11.52 | **(-)** 0.08 |

**नोट:** उधार और अन्य देयताएं: सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) और प्रारंभिक और अंतिम शेष का निवल भारत सरकार के सामान्य नगद शेष के साथ विलय कर दिया गया। 2022-23 और 2023-24 के दौरान कोई बैक-टू-बैक ऋण प्राप्त नहीं हुआ था।

पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान और अंशदान (जीआईए) में ₹ 12,666.16 करोड़ (85.82 *प्रतिशत)* की कमी आई, जो मुख्य रूप से जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अधीन 'जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली राजस्व हानि के लिए मुआवज़ा' की प्राप्ति में ₹ 11,679.22 करोड़ (91.12 *प्रतिशत)* की कमी के कारण है। जीआईए में उक्त कमी अपेक्षित थी क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने जीआईए के लिए ₹ 4,846 करोड़ का कम संशोधित अनुमान लगाया था, जो पिछले वर्ष के वास्तविक से 67 *प्रतिशत* कम था।

संघ सरकार द्वारा ₹ 2,023 करोड़ की पेंशन देयताओं और दिल्ली पुलिस पर ₹ 11,123 करोड़ के व्यय को वहन किए जाने के कारण, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार 2023-24 में ₹ 6,462 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज कर सकी, जो कि ₹ 6,684 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल जाएगा, यदि उपर्युक्त दोनों देनदारियों को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता।

### 1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

मौजूदा सरकारी लेखा प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों जैसी अचल परिसंपत्तियों का व्यापक लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताएं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। देयताओं में केवल भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.3** में दी गई है:

**तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| देयताएं | | | | | परिसंपत्तियां | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022-23 | 2023-24 | *प्रतिशत* वृद्धि | | | 2022-23 | 2023-24 | *प्रतिशत* वृद्धि |
| | | | | | | | | | समेकित निधि |
| क | केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम | 52,380 | 47,387 | (-) 9.53 | क | सकल पूंजीगत व्यय | 91,359 | 98,215 | 7.50 |
| ख | 1994-95 के दौरान म.ले.नि. से लिए गए पूंजीगत परिव्यय का शेष | 1,588 | 1,588 | 0 | ख | ऋण एवं अग्रिम | 74,280 | 77,821 | 4.77 |

| देयताएं | | | | | परिसंपत्तियां | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022-23 | 2023-24 | *प्रतिशत* वृद्धि | | | 2022-23 | 2023-24 | *प्रतिशत* वृद्धि |
| ग | 1994-95 के दौरान म.ले.नि. से लिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष | 3,356 | 3,356 | 0 | ग | भारत सरकार के सामान्य नकदी शेष में अंतिम नकद शेष का विलय | 14,451 | 5,523 | (-) 61.78 |
| घ | राजस्व लेखा में संचयी अधिशेष | 1,22,766 | 1,29,228 | 5.26 | | | | | |
| **कुल** | | **1,80,090** | **1,81,559** | | **कुल** | | **1,80,090** | **181,559** | |

**नोट:** 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 तक क्रमशः ₹ 91,359 करोड़ और ₹ 98,215 करोड़ की संपत्ति में 'सकल पूंजीगत परिव्यय' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,588 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे 1994-95 के दौरान महालेखा नियंत्रक कार्यालय से लिया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 तक क्रमशः इसमें ₹ 74,280 करोड़ और ₹ 77,821 करोड़ के संपत्ति पक्ष पर दर्शाए गए ऋण एवं अग्रिम में 1994-95 के दौरान महालेखा नियंत्रक कार्यालय से लिया गया ₹ 3,356 करोड़ शामिल हैं।

## 1.4 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियां

**चार्ट 1.4** और **1.5** 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटे के संकेतकों और स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

**चार्ट 1.4: 2019-20 से 2023-24 की अवधि में अधिशेष/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां**

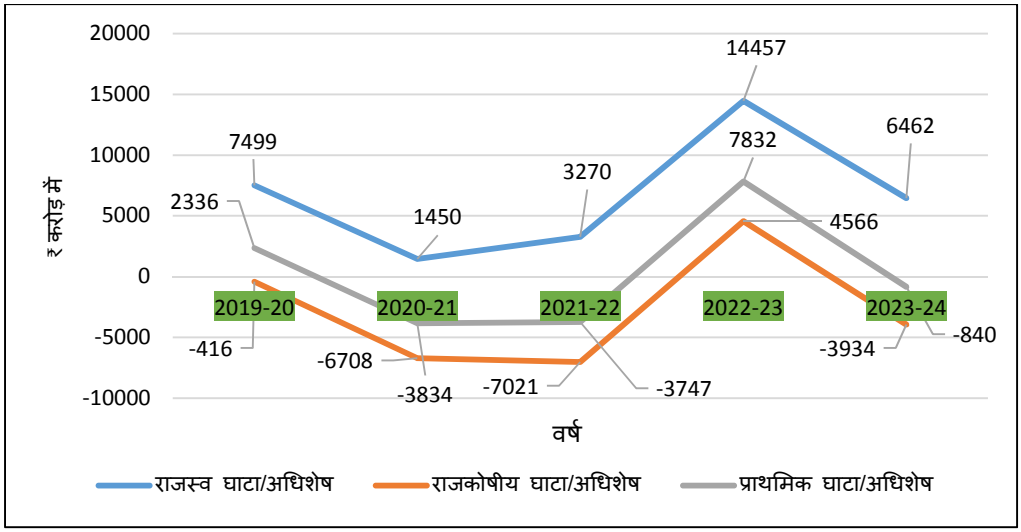


स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

**चार्ट 1.4** से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा 2022-23 को छोड़कर जिसमें ₹ 4,566 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया गया, 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटा लगातार बढ़कर ₹ 416 करोड़ से 2023-24 के दौरान ₹ 3,934 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटे में अंतर मुख्य रूप से जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत 'जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली राजस्व हानि के मुआवज़े'

के लिए जीआईए की प्राप्ति में ₹ 11,679.22 करोड़ (91.12 *प्रतिशत)* की कमी के कारण था, जो अनुमानित आधार पर थी क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने जीआईए के लिए ₹ 4,846 करोड़ पर कम संशोधित अनुमान लगाए थे, जो पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों से 67 *प्रतिशत* कम था। इसके अतिरिक्त, **चार्ट 1.5** के अनुसार, 2023-24 में राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का (-) 0.36 *प्रतिशत* रहा, जबकि 2022-23 में राजकोषीय अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.45 *प्रतिशत* था।

**चार्ट 1.5: 2019-20 से 2023-24 की अवधि में स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां**

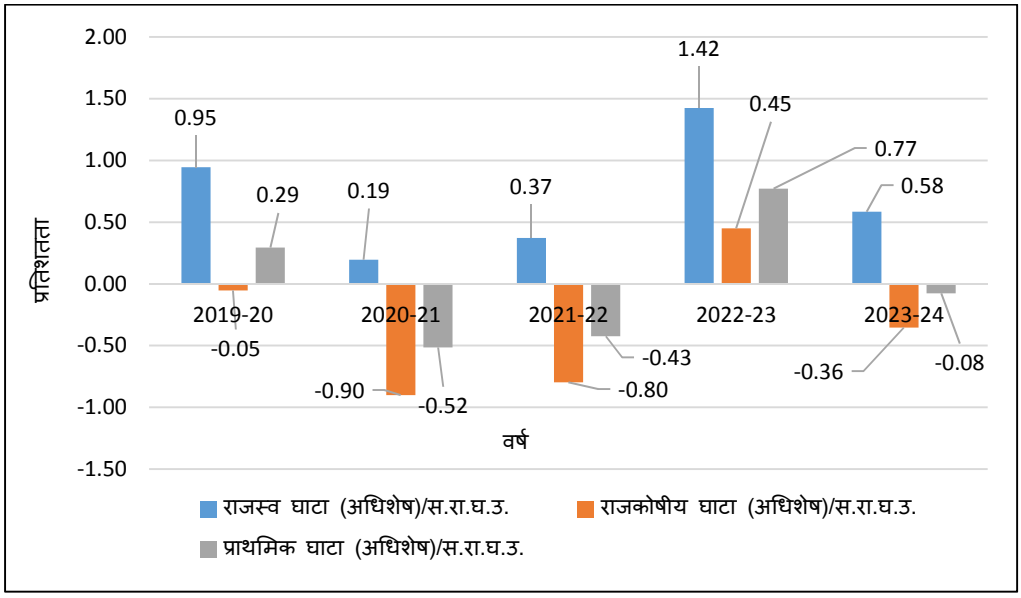


स्रोत: दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 2023-24, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.